न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-174/2017

1- सुमन पत्नी अनिल पोद्दार जाति महाजन निवासी डूण्डलोद हाल निवासी बी-503 नन्दीग्राम सोसायटी गौड़ रोड सूरत (गुजरात)

2- अंजना पत्नी प्रदीप पोद्दार जाति महाजन निवासी डूण्डलोद हाल निवासी 9/1 बृजरतन अपार्टमेन्ट सुपवासी रोड, पार्ले पोईन्ट सूरत (गुजरात)

जरिये मुखत्यार हनुमानप्रसाद खेमानी पुत्र शंकरलाल खेमानी उम्र 65 वर्ष जाति महाजन निवासी वार्ड नं0-8 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू (राज0)

---अपीलान्टस---

---बनाम---

सत्यमेव जयते

1- रिडमरण
2- राधेश्याम
3- ओमप्रकाश

पुत्रगण अर्जुनराम जाति माली निवासी वार्ड नं0-16 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू (राज0)

4- रमेश पुत्र हरिराम ) जाति महाजन निवासी मण्डावा हाल निवासी
5- गिनिया देवी पत्नी हरीराम ) निवासी गेसल पार्क बहिन्द्रा मुम्बई (महाराष्ट्र)

Web Copy - Not Official

6- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू (राज0)

7- उप पंजीयक मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज0)

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4-12-2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, झुन्झुनू ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री जितेन्द्र निर्मल एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक= 29.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ, रेकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि कस्बा मण्डावा में आराजी पै पुराना खसरा नं0-8 रकबा 34 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 19 रकबा 7.44 हैक्टर ख0नं0 22 रकबा 0.37 हैक्टर गैर मु0 सड़क, ख0नं0 23 रकबा 0.85 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 8.66 हैक्टर दर्ज है जो विवादित आराजी है । वादी का सजरा खानदान इस प्रकार है। लक्ष्मण पुत्र धयाला के एक पुत्र नत्थू हुआ नत्थू के एक पुत्र अर्जुन तथा अर्जुन के तीन पुत्र राधेश्याम, रिद्धकरण एवं ओमप्रकाश हुये । उक्त विवादित आराजी को लक्ष्मण उर्फ लछमण पुत्र धयाला जाति माली काश्त करता था। तथा इस आराजी पर काफी धन एवं मेहनत कर इस आराजी को काफी विकसीत एवं उपजाऊ बनाई है । वादी के परदादा ने अपने जीवनकाल में उक्त विवादित आराजी में कुआ, खेल व मकान बनाकर विकसीत कर बैलों से सिचाई कर उक्त आराजी को काश्त किया है ।खसरा नम्बर 30 व 31 पर पुख्ता मकान बनाकर सपरिवार निवास करता था ।तथा ख0नं0 32 गैर मुमकीन कुआ है से खसरा नं0 33 भूमि पर सिचाई करके काश्तकिया है। राजस्थान काश्तकारी अधि--नियम प्रभाव में आया तब वादी के परदादा व दादा जो विवादित भूमि के मूल पुरूष भी थे जो इस आराजी की काश्त करते थे। नत्थू की मृत्यु के बाद इस आराजी को वादी के पिता अर्जुनराम ने अपने जीवन काल में भूमि को काश्त किया है और वादी के पिता अर्जुनराम की मृत्यु के बाद जनवरी 2015 में जब वादी के पिता की मृत्यु हो गई उसके बाद इस आराजी की काश्त वादी स्वंयम ने की है ।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ तब विवादित आराजी का वादी खातेदार काश्तकार था । जिसका जमाबन्दी सं0- 2012 से 2015 में अंकन लछमण पुत्र धयाला माली को काश्तकार दर्ज किया गया है ।तथा मिसल हकीयत सम्वत 1999 में भी वादी के परदादा लछमण पुत्र धयाला की काश्त दर्ज है ।तथा जमाबन्दी सं0-2012 से 2015 के कालम सं0-5 में नत्थू पुत्र लछमण उप

कृषक दर्शाया गया है। सर्वप्रथम सैटलमेन्ट सं0- 2012 में आया तब विवादित आराजी पर नत्थू माली काबिज था जिसकी काश्त दर्ज है ।जिसका अंकन खसरा गिरदावरी सं0- 2009 से 2012, 2013 से 2016 में अंकित है ।जिसमे नत्थू माली बाजरा मोठ ग्वार की फसल कर रखी है ।सैटलमेन्ट ने बिना किसी सक्षम आदेश के लछमण की खातेदारी को समाप्त कर दिया जिसका सैटलमेन्ट को कोई हक अधिकार नहीं था । लछमण की खातेदारी हटाकर उसके स्थान पर सहवन लक्ष्मी नारायण, औंकारमल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन का नाम दर्ज कर दिया । लेकिन जमाबन्दी सं0- 2016 से 2019 में उप कृषक नत्थू पुत्र लछमण माली ही दर्ज है ।राजस्व रेकार्ड में वादी के दादा नत्थू पुत्र लछमण का नाम बतौर उप कृषक खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है । इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी के मूल पुरूष वादी के परदादा लछमण ही है जिनका कब्जा काश्त सदा रहा है जिन्होने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजी को काश्त किया है ।लगातार कब्जा काश्त होने से उक्त आराजी की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनिय की धारा-19 के तहत वादी के दादा नत्थू पुत्र लछमण के नाम दर्ज हो जानी चाहिये थी । किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने बिना किसी सक्षम आदेश के वादी के परदादा नत्थू का नाम हटा दिया जिसका सैटलमेन्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिकार नहीं है । वादी के पर दादा लछमण पुत्र धपाला का नाम हटाकर उसकी जगह लक्ष्मीनारायण औंकारमल पुत्र मोहनलाल महाजन राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया जो बिना किसी आधार के दर्ज किया है ।इस राजस्व रेकार्ड का वादी को कभी पता नहीं चला ।औंकारमल व लक्ष्मीनारायण के वारिसान प्रतिवादी स0-5 से 7 को राजस्व रेकार्ड का मालूम चलने पर उक्त आराजी ख0नं0 19, 22, 23 को साजिश के तौर पर प्रतिवादी सं0-1 से 4 को बाला बाला फर्जी तरीके से बैचान कर दिया । जबकि उक्त आराजी कभी भी प्रतिवादी संख्या-5 से 7 के कब्जा काश्त में नहीं रही और ना ही लक्ष्मीनारायण व औंकार के कब्जा काश्त मे रही है । यह विक्रय फर्जी तरीके से किया गया है। जिसके आधार पर प्रतिवादी सं0-1 से 4 के नाम जमाबन्दी में दर्ज हो गये । वादी दिनांक 30-6-2017 को

उक्त विवादित आराजी का के0सी0सी0 बनवाने के लिये जमाबन्दी की नकल ली तथा प्रतिवादी संख्या-1 से 4 द्वारा उक्त आराजी से दिनांक 10-7-17 को जबरन बेदखल करने की धमकी देने पर वाद कारण पैदा हुआ जिस पर यह दावा जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया गया । जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई स्वीकार कर लिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने मृतक ईश्वरी प्रसाद, माधवप्रसाद, मदनलाल पुत्रान औंकारमल के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है ।उक्त व्यक्तियो की मृत्यु 18-19 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है। मृतक व्यक्तियो के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती और यदि किसी मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है तो वह आदेश अवैधानिक है।अपीलान्ट बाहर रहकर अपना व्यवसाय करते है तथा वर्तमान मे अपीलान्ट सूरत मे रहते है तथा रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 ने आपस में साज कर गलत पते पर नोटिस व रजिस्ट्री भेजकर तामिल करवाई है जबकि रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 को पता है कि अपीलान्ट सूरत रहते इसके बावजूद उन्होने गलत पते के नोटिस भेजकर तामिल करवाई है जिसे अदालत मातहत ने मानने मे कानूनी भूल की है । अपीलान्ट की तामिल प्रोपर नहीं हुई है ।अपीलान्ट के विरूद्ध पर्याप्त व तामिल मानकर एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है तथा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट को अदालत मातहत में जबाब देही एवं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया ।विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से का कोई कब्जा नहीं है । अदालत मातहत ने न्यायिक प्रक्रिया को दुरूपयोग कर अपना आदेश पारित किया है ।वादी/रेस्पोडेन्ट ने अपने दावे को साबित करने में न तो को साक्ष्य पेश की न ही उसे साबित किया है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने केवल उप कृषक के रूप में अपने पूर्वज का नाम सम्वत 2012 से 2015 में दर्शाये जाने के आधार पर उक्त दावा प्रस्तुत किया जो गलत राजस्व रेकार्ड था । भूलवश राजस्व रेकार्ड बना है जिसके

लागू हुआ इस गलत राजस्व रेकार्ड को सही कर दिया गया तब से लेकर आज दिनांक तक विवादित आराजी की खातेदारी हमारे नाम से रही है।अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा है । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अदालत मातहत को दावा की प्लीडिंग के अनुसार मुताबिक विवादित आराजी की भौतिक रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिये था ।अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक ।।-।0-1990 को व दिनांक 30-6-1994 को पत्थरगढी का आदेश हुआ तथा दिनांक दिनांक 21-12-1985 को तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा भी अपीलान्ट का कब्जा मानकर पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें भी खातेदारान का कब्जा साबित है । उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को अदालत मातहत ने नजर अन्दाज कर अपना निर्णय पारित किया है। विभिन्न खातेदारान की मृत्यु के उपरान्त उनके कानूनी वारिसान के नाम मौके पर कब्जा काश्त मानकर उनके नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ है । तथा खातेदार गिनिया देवी द्वारा तथा रमेशचन्द्र द्वारा उक्त कब्जे काश्त की भूमि में कुछ हिस्सा अपीलान्ट को जरिये विक्रय पत्र विक्रय किया तथा मौके पर भौतिक कब्जा सम्भला दिया । जिसके आधार पर अपीलान्ट का नाम विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया । इस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों मे दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट की तामिल सम्यक रूप से नहीं करवाई गई बल्कि अपीलान्ट की तामिल सही पते पर न करवाकर उसकी तामिल गलत पते पर जारी कर करवाई गई । जबकि अपीलान्ट कई वर्षों से सूरत में अपने कारोबार के सिलसिले में वहीं रह रहे है ।अपीलान्ट की तामिल साजशी

वर्ष पूर्व ही फौत हो चुके । रेस्पोडेन्ट सं0-1/वादी ने इन मृत व्यक्तियों के विरूद्ध दावा पेश कर इनकी तामिल भी जरिये रजिस्टर्ड पत्र करवाई जाकर आदेश मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित कर दिया जबकि मृत व्यक्तियो के विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता और यदि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित भी कर दिया जाता है तो ऐसा आदेश शून्य ही माना जावेगा इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने से अवैधानिक है जिस निरस्त किया जावे ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने खातेदारी प्राप्त करने का जरिया साबित नहीं किया ।रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी की खातेदारी कब्जा काश्त होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-19 के तहत खातेदारी की घोषणा चाही है वही दूसरी तरफ इस आराजी पर अपने परदादा लक्ष्मण पत्र धयाला को उप कृषक बताकर राजस्व रेकार्ड में उनकी खातेदारी समाप्त करने के कारण राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने का निवेदन कर खातेदारी की घोषणा चाही है जो एक दूसरे के विरोधाभाषी है । ब दावा के वादी ने लगान का अनुबन्ध किस से किया कोई स्पष्ट नहीं किया । दावा वर्ष 2017 में पेश किया है। ववववव रेस्पोडेन्ट ने अपने दादा का नाम सम्वत 2019 मे हटाना बताया है सम्वत 2019 में वर्ष सन् 1965 था ।रेस्पोडेन्ट ने दावा सन् 2017 में पेश किया जो 45-46 वर्ष बाद पेश किया है अर्थात वादी/रेस्पोडेन्ट का दावा पूर्णतया मियाद बाहर है । धारा-19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी दी जाती है उसके लिये समयसीमा निश्चित है । दि0 15-10-55 को कोई व्यक्ति बतौर सब टीनेन्ट दर्ज होना चाहिये ।किन्तु रेस्पोडेन्ट/वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आया तब न तो कृषक दर्ज है न ही इसका कब्जा है । सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने पटवारी से दिनांक 21-12-1985 को मौके की भौतिक रिपोर्ट ली है जिसमें कब्जा हमारा साबित है समय समय पर विवादित आराजी के खातेदारो का देहान्त होने पर नामान्तरकरण दर्ज हुये है । गिनियादेवी तथा रमेशचन्द द्वारा उक्त कब्जे काश्त की भूमि में से कुछ हिस्सा अपीलान्ट सुमन व अंजना देवी को विक्रय किया गया कब्जा सम्भलाया

तथा विक्रय पत्र के आधार पर कब्जे की जांच कर राजस्व रेकार्ड मे अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया है ।वादी/रेस्पोडेन्ट ने अपने पडदादा का नाम सम्वत 2012 से 2015 में दर्शाये जाने के आधार पर दावा किया है । इसके बाद रेस्पोडेन्ट के पूर्वज का कभी कब्जा नहीं रहा इसके बाद सम्वत 2033 से खातेदार का ही कब्जा माने जाने की अवधारणा है ।कब्जा के अभाव मे घोषणा का दावा चल ही नहीं सकता । वैसे भी रेस्पोडेन्ट ने यह दावा 45-46 साल बाद पेश किया है जबकि कानून तो यह है कि 12 साल तक कब्जा नही है तो उसके अधिकार वैसे ही समाप्त हो जाते है प्रस्तुत प्रकरण में तो 45 साल से रेस्पोडेन्ट सं0-1 का कब्जा नही है । रेस्पोडेन्ट के पडदादा, दादा एवं पिता ने कोई दावा नही कियाअब रेस्पोडेन्ट जो तीसरी पीढी का है उसने यह दावा किया है । जब नत्थू का देहान्त हुआ तब रेस्पोडेन्ट के पिता ने फौती इन्तकाल दर्ज क्यू नही करवाया। इसका यह मतलब है कि रेस्पोडेन्ट का इस आराजी पर कब्जा नही रहा ।रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अपने दादा लछमण को खातेदार बताया है और दावे मे दफा-19 के तहत खातेदारी की घोषणा चाही है यह दोना तथ्य ही अपने आप मे विरोधाभाषी है । अदालत मातहत ने इन तथ्यो पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है । बहस के समर्थन मे कानूनी नजीर आरआरडी 1984 पेज-111, एआईआर 2018(एस0सी0) पेज-753, 2015(2)डीएनजे(राज0) पेज-774(डी0बी0) एआईआर 1974 पेज 227(एस0सी0) आरआरटी 2014(1) पेज 695(एस0सी0) आरबीजे 2012(एस0सी0) पेज-47, एआईआर 2007(एस0सी0)पेज 1499, आरआरटी 2004(1)(पेज-1 (एच0सी0) (डी0बी0) पेश कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का मिसल हकीयत सम्वत 1999 मे रेस्पोडेन्ट सं0-1/वादी का परदादा लछमण बतौर खातेदार दर्ज था जिसका कब्जा काश्त दर्ज था।यह00 दस्तावेज प्रदर्श -3 है ।जमाबन्दी सं0-2012

वल्द लछमण उप कृषक दर्ज रहा है । राजस्व रेकार्ड में वही खसरा नम्बर है वही खाता है वही रकबा है खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 तथा 2013 से 2016 में नत्थू की काश्त दर्ज है जिसमें बाजरा मोठ ग्वार की फसल दर्ज है । इससे स्पष्ट है विवादित आराजी का रेस्पोडेन्ट सं0-1 का वह परदादा तथा दादा लगातार काबिज काश्तकार रहे हैं । राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सं0-2016 से 2019 में विवादित आराजी की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के परदादा लछमण पुत्र धयाला के नाम से हटाकर एक साधन सम्पन्न लक्ष्मीनारायण औकारमल पुत्र मोहन लाल जाति महाजन के नाम से दर्ज कर दिया जबकि सैटलमेन्ट विभाग को जमाबन्दी मे बदलाव करने का कोई हक अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट सख्या-1 के दादा लछमण का नाम हटाने का कोई सक्षम आदेश नहीं है और बिना सक्षम आदेश के सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो को जमाबन्दी मे से नाम हटाकर दूसरे का नाम दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जैसा आरआरटी2008 (1) पेज-151 (एच0सी0) आरएलडब्लू 2016 (1) पेज-1 में स्पष्ट किया गया है । बन्दोबस्त विभाग को विद्यमान अंकन को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पो0 संख्या-1/वादी विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है । उसने राजस्व रेकार्ड की ओर कभी ध्यान नहीं दिया । अपीलान्ट का यह कहना भी गलत है उनकी तामिल नहीं करवाई। अदालत मातहत में पहले साधारण नोटिस जारी किये साधारण नोटिस लौटकर नहीं आने के बाद रजिस्टर्ड वह नोटिस के तामिल जारी की है। इनकी तामिल रजिस्टर्ड नोटिसों से की गई है । इनका पता जो जमाबन्दी में दर्ज है वही दर्ज किया है । इस कारण अपीलान्ट यह नहीं कह सकते की उनकी तामिल सम्यक रूप से नहीं करवाई गई । इनकी तामिल होने के बाद बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । अपीलान्ट को यह दावा जब करना पडा तब प्रतिवादी सं0-5 से 7 ने उक्त आराजी को छोटे छोटे टुकडों के रूप में प्लाट काट कर बेचान करने लगे तथा प्रतिवादी संख्या-1 से 4 ने इस आराजी से रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को बेदखल करने की धमकी दी । तब वादीगण रेस्पोडेन्ट ने राजस्व रेकार्ड की नकल केसीसी

रिकार्ड बनवाने के लिये जमाबन्दी की नकल ली तब इस आराजी पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से यह दावा किया । जमाबन्दी में जिन खातेदारों का नाम गलत रूप से दर्ज था उनको पक्षकार बनाया जाकर नोटिस जारी किये गये है । अदालत मातहत में प्रतिवादी सं0-5 से 7 की मृत्यु की सूचना नहीं दी तथा ना ही अपीलान्ट ने अपील के साथ इनका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है ।मेरा कहना तो यह है कि प्रतिवादी संख्या-5 से 7 आज भी जिन्दा है यदि इनकी मृत्यु हो गई है तो अपीलान्ट इनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करे। बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी मृत्यु हो गई ।अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर कर राजस्व रेकार्ड से मेरा नाम हटाने पर मेरा नाम दर्ज करने का आदेश दिया है जो विधि संगत है ।अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि मेरा दावा मियाद के बाहर है । अपीलान्ट ने यह अपील केवल मुझे हैरान व परेशान करने की नियत से पेश की है । अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4-12-2017 यथावत रखा जावे ।

बहस बगौर समहात की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0-2012 से 2015 में प्रदर्श-1 में ख0नं0 8, 12, 13, 14 कुल किता-4 रकबा की खातेदारी लक्ष्मीनारायण व औंकार पि0 मोहनलाल महाजन के नाम दर्ज है जिसकी काश्त खुदखातेदार व काश्त नत्थू पुत्र लछमण, लादू पुत्र मोठू के साथ के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-2 मिलान क्षेत्रफल में गत ख0नं0 8 मीन के हाल ख0नं0 19, 22 व 23 बने हैं ।मिसल हकीयत सम्वत 1999 में खातेदारी लक्ष्मीनारायण व औंकार पितरान मोहनलाल के नाम तथा काश्त लछमण व लादूया कौम माली के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2029 से 2032 में विवादित आराजी मदनलाल, ईसवरप्रसाद, माधोप्रसाद पुत्र औंकार के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-4 खसरा गिरदावरी सं0-2009 से 2012 में विवादित आराजी की खातेदारी लक्ष्मीनारायण, औंकार पुत्र मोहनलाल महाजन एवं काश्त नत्थू वल्द लछमण लादु व मोठु कौम माली के नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी सं0-2013 से 2016 में खातेदारी लिछमीनारायण, औंकार पि0

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

गोदू के नाम दर्ज है ।पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है किप्रदर्श-1 से 4 में खातेदारी लक्ष्मीनारायण व औकार पुत्र मोहनलाल महाजन के नाम दर्ज है ।इस आराजी पर सम्वत 2009 से 2016 तक काश्त रेस्पो0 वादी के परदादा लछमण व दादा नत्थू के तथा लादू पुत्र मोठू के नाम दर्ज रही है ।सम्वत 2016 के बाद रेस्पोडेन्ट सं0-1 के परदादा व दादा के नाम व कब्जा काश्त व खातेदारी नहीं रही है । विवादित आराजी की खातेदारी लछमीनारायण, औकार पि0 मोहनलाल की दर्ज रही है ।पत्थरगढी रिपोर्ट दिनांक 30-6-1994 मे विवादित आराजी ख0नं0 8(पुराना) की पत्थरगढी रिपोर्ट सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा करवाई गई है । जिसमें आस पास के खेतों में भी अमीनो द्वारा जरीब चलाकर नाप जोख कर पत्थरगढी की गई है ।इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या-1/वादी का कब्जा उस समय होता तो उसे अवश्य जानकारी होती ।तथा यह आराजी लक्ष्मीनारायण, औकार पुत्र मोहन के बाद प्रतिवादी सं0-5 से 7 के नाम दर्ज हुई है। विक्रय पत्रो के आधार पर अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई। विक्रय पत्र के आधार पर मौके की जांच कर खातेदारी जमाबन्दी स0 2069 से 2072 में इनके नाम दर्ज की गई है । वादी ने उक्त आराजी में केवल अपने नाम खातेदारी चाही है जबकी वादी के परदादा लछमण के पुत्र नथू, नत्थू के अर्जुन हुआ और अर्जुन के तीन पुत्र है अब वादी अकेला इस आराजी की खातेदारी कैसे कब्जे कर रहा, यह भी नहीं बताया तथा वादी के पर दादा लछमण के साथ कब्जा लादू पुत्र मोठू का भी था वादी अकेला कैसे इस आराजी की खातेदारी कब्जे कर रहा है, कहीं स्पष्ट नहीं किया है ।वादी/रेस्पोडेन्ट ने अपने दावे में अपने परदादा को सम्वत 2012 से 2015 में उप कृषक दर्ज बताकरयह दावा पेश किया है। इस जमाबन्दी में खातेदारी लक्ष्मीनारायण, औकरमल पि0 मोहनलाल के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट ने खातेदार से कोई कोन्टेक्ट किया होअथवा टीनेन्सी को प्राप्त करने का कोई जरिया (source) तो बताना ही होगा ।रेस्पोडेन्ट ने अपने परदादा को खातेदार बताया है, तो वह दावा धारा-19 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं ला सकता। साथ ही विवादित आराजी पर लादू पुत्र मोठू का सम्वत 2012

दर्ज नहीं किया जो अपने आप मे ही सन्देह पैदा करता है तथा रेस्पो0 रिद्धकरण अपने पिता अर्जुनराम के तीन पुत्र है दो भाईयो को कैसे हिस्सा नहीं दे रहा इसका भी कोई कारण दर्ज नहीं किया। रेस्पोडेन्ट दावे मे एक तरफ अपने परदादा की खातेदारी बताकर सैटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से खातेदारी हटाने का आरोप लगाकर खातेदारी की मांग की है तथा वही दूसरी तरफ दावे की मद संख्या-6 मे धारा-19 के तहत वादी के दादा स्वतः ही खातेदार बन चुके यह कथन किया है। ये दोनो कथन अपने आप मे विरोधाभाषी है अर्थात रेस्पोडेन्ट न्यायालय मे स्वच्छ हाथो से नहीं आया। जब वादी के दादा का नाम सम्वत 2016 मे ही हटा दिया तो इसके बाद विवादित आराजी पर कई नामान्तरकरण दर्ज हुये है, पत्थरगढी की कार्यवाही भी हुई है जो सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने दिनांक 30-6-1994 को की है। जिसकी पत्थरगढी के लिये आस पास के 8-10 खसरा नम्बरो पर जरीब चलाई गई है। रेस्पोडेन्ट का विवादित आराजी पर कब्जा होता तो उस समय ही उसे दावा करना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट केदादा का कब्जा रहा है यह तथ्य मानने योग्य है किन्तु खातेदारी तो लछमीनारायण, औंकार की दर्ज है। इनसे कोई लगान का समझौता किया हो ऐसा कहीं दर्ज नहीं हैअर्थात टीनेन्सी का कोई जरिये (source) स्पष्ट नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने जो नजीर पेश की है उसमें बन्दोंबस्त विभाग को मूल प्रविष्टियों को विलोपित करने का अधिकार नहीं ~~यह स्पष्ट~~ है कि किन्तु यहाँ पर रेस्पोडेन्ट के दादा व परदादा की कोई खातेदारी दर्ज नहीं है उसका केवल कब्जा दर्ज है। बन्दोबस्त विभाग ने खातेदारी को नहीं बदला है। ~~जिसके~~ प्रस्तुत नजीर के तथ्य भिन्न है। रेस्पोडेन्ट ने दावे के प्रतिवादी सं0-5 से 7 जो मृत व्यक्ति है उन्हे पक्षकार बनाकर दावा पेश कर दिया। प्रतिवादीगया की तामिल सही नहीं होने से उनकी मृत्यु की सूचना नहीं आई जबकि अपीलान्ट ने उन्हें मरे हुये अपील मे 18-19 वर्ष पहले ही दर्ज किया है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का आदेश मृत व्यक्तियो के विरूद्ध पारित किया जाता है तो वह भी शून्य की श्रेणी मे हीमाना जावेगा। दावा विलम्ब से पेश किया इसका कोई स्पष्ट कारण दर्ज नहीं किया, जबकि दावा लगभग 46

सकता कि वादी जाति से माली है जो भोले भाले काश्तकार है । वादी के दादा परदादा एवं पिता ने अपने जीवनकाल मे कोई दावा नहीं किया । यह दावा तीसरी पीढी ने किया है जो पूर्णतया मियाद के बाहर है। इसके समर्थन मे विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो कानूनी नजीर पेश की उसमे स्पष्ट दर्ज किया है कि "वाद परिसीमा द्वारा बाधित था- परिसीमा के बाहर पेश वाद को खारिज करना न्यायालय कार्कर्तव्य है चाहे आपत्ति न उठाई हो । प्रस्तुत दावा वादी का पूर्णतया मियाद बाहर है। जिसके लिये दावे में कोई सन्तोषप्रद कारण भी दर्ज नहीं किये है। इस प्रकार वादी का दावा मियाद के बाहर है । घोषणा के दावे में कब्जा आवश्यक है जो वादी ने किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं किया है । विवादित आराजी पर नत्थू के फौत होने पर अपने पिता अर्जुनराम का नामान्तरकरण क्यू नहीं दर्ज नहीं करवाया, कोई कारण दर्ज नहीं किया है तथा यह आराजी औकार के वारिसान के नाम दर्ज हुई। विक्रय पत्र के बाद अपीलान्ट के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुई है तथा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने विवादित आराजी की पत्थगढी की दिनांक 30-6-1994 को की है किसी की भी जानकारी रेस्पोडेन्ट/वादी को नहीं होना अपने आप में स्पष्ट करता है कि वादी का इस आराजी पर कब्जा नहीं है और कब्जे के अभाव में वादी घोषणा का दावा नहीं ला सकता । जैसाकि विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों से स्पष्ट है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4-12-2017 खारिज किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29-6-2018 को सुनाया गया ।

29/6/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर